

यूपी में बेरोजगारी दर 19 से घटकर 2.4 प्रतिशत पर, बोले योगी, प्रदेश बना रोजगार का हब

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि पिछले आठ वर्षों में दूरदृष्टि और सशक्त नीतियों की बदौलत राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नई पहचान मिली है। प्रदेश में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं और युवाओं को प्रशिक्षण और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन मिला है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इन सबके साथ सामाजिक स्थिरता और ग्रामीण जीवन में सुधार की स्पष्ट झलक भी देखने को मिल रही है। यह सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व के कारण संभव हो रहा है। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बेरोजगारी दर में आई भारी गिरावट है। जहां एक समय प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत जैसे भारी-भरकम स्तर तक पहुंच

गई थी, वहीं अब यह घटकर 2.4 प्रतिशत रह गई है। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक मजबूती का संकेत है, बल्कि नीति आधारित विकास मॉडल की सफलता को दर्शाने का काम कर रही है। सरकार द्वारा बनाई गई रोजगार नीतियों, निवेश आकर्षित करने वाले उपायों और कौशल विकास कार्यक्रमों का सकारात्मक परिणाम पूरे प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की जीसीसी नीति 2025 ने रोजगार वृद्धि को नया आयाम दिया है। इस नीति के माध्यम से दो लाख से अधिक नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक कंपनियों के लिए प्रदेश में अनुकूल वातावरण तैयार करने का जो ठोस प्रयास किया जा रहा उससे युवाओं को तकनीकी और उच्चस्तरीय रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही यूपी रोजगार मिशन ने मात्र एक वर्ष में 1.25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान

कर राज्य में रोजगार सृजन की गति को और अधिक तेज किया है। एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरा है। प्रदेश में इस समय 96 लाख से



ज्यादा एमएसएमई इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिनसे अब तक 2 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो चुका है। केवल पिछले एक वर्ष में ही इस क्षेत्र ने 18 लाख

नए रोजगार उपलब्ध कराए हैं। यह सेक्टर सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए अवसरों का विशाल प्लेटफॉर्म बन गया है और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार भी

किया गया जिनमें से 5.66 लाख को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इससे न केवल उद्योगों को रिकलड मैनपावर उपलब्ध हुआ बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को स्थानीय आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। महिला रोजगार में वृद्धि प्रदेश के सामाजिक परिवर्तन की सबसे प्रभावशाली उपलब्धियों में से एक है। आज औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इससे परिवारों की आर्थिक मजबूती जेंडर समानता और महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को अभूतपूर्व गतिशीलता प्रदान की है। रोजगार महाकुंभ 2025 जैसे बड़े आयोजन और विभिन्न वित्तीय योजनाओं ने युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर दिए हैं बल्कि उन्हें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी मिली है। इससे रोजगार बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता दोनों बढ़ी हैं।

एजेंसी

कानपुर। गोविंदनगर पुलिस ने गुरुवार को एक बड़े वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की पांच कारें बरामद कीं। इनमें से तीन कारें गोविंदनगर थाना क्षेत्र से ही चोरी की गई हैं। शातिर चोरी की कारों को बिहार में बेचते थे जहां इनका इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जाता है। सभी आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बीते कुछ माह में दादानगर फैक्टरी एरिया से तीन कारें चोरी हुई थीं। इनके खुलासे के लिए पुलिस काम कर रही थी। गोविंदनगर इस्पेक्टर रिकेश कुमार सिंह और उनकी टीम ने बिहार से नालंदा के हसनौत निवासी राजकुमार को गिरफ्तार किया। उसने फूटताछ में बताया कि वह शराब तस्करी है। पटना

के थाना कंकड़ बाग के अशोकनगर इलाके के सूरज कुमार और बलिया के नरही के पवन उपाध्याय उर्फ गलगल बाबा संग मिलकर शराब तस्करी करता है। इस काम के लिए उसे चोरी की गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। इन गाड़ियों



को आशियाना लखनऊ का रहने वाला सत्यम गुप्ता चुराकर उन्हें बेचता है। फिर इन्हीं कारों की नंबर प्लेट इनकर चेंसिस नंबर में हेरफेर कर इनका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाता है। ऐसे बरामद हुई रिपट डिजायर व नेक्साॅन कारें पुलिस ने सबसे पहले राजकुमार को गिरफ्तार किया। राजकुमार से पूछताछ में सत्यम का

नाम खुला जा कारें चुराकर उन्हें बेचने का काम करता है। राजकुमार ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को सत्यम ने चोरी की तीन कारों की डिलीवरी देने के लिए सूरज और पवन को गोविंदनपुरी के पास बुलाया। यहां पुलिस ने घेराबंदी

करके इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी हुई रिपट डिजायर, सफेद और नीले रंग की नेक्साॅन कारें बरामद कीं। इन वाहनों का सौदा 50 हजार से लेकर चार लाख रुपये तक में हुआ था। आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई वैन आर और ब्रीजा कार भी बरामद की। सौ से ज्यादा कारें चुरा चुका सत्यम इस्पेक्टर गोविंदनगर रिकेश कुमार ने बताया कि सत्यम बेहद शातिर चोर है। वह चंद सेकेंड में ही कारों के लॉक तोड़कर उन्हें लेकर चंपत हो जाता है। उस पर कानपुर, बलिया, लखनऊ आदि जिलों में कुल 21 मामले दर्ज हैं।

कोडीन कफ सिरप पर सियासत तेज, अखिलेश बोले-प्रदेश में एक जिला...एक माफिया का राज

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय

प्रभावशाली लोगों की भूमिकाओं की अनदेखी होती रही। अखिलेश ने दावा किया कि इस अवैध धंधे में मुख्यमंत्री के करीबियों और कई अधिकारियों के नाम भी चर्चा में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि "प्रदेश में



अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि नशीले सिरप का सिंडिकेट ने सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होता हुआ नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका तक अपना नेटवर्क चला रहा था। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित सिरप की वजह से कई मासूमों की जानें गईं, लेकिन शासन-प्रशासन में बैठे

एक जिला, एक माफिया का काला कारोबार खुलकर फल-फूल रहा है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही इस मामले में 38 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और स्थानीय माफियाओं के नाम सामने आए हैं। उन्होंने वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि एक वर्ष पूर्व जहरीला

सिरप पीने से उनकी मौत हुई, लेकिन उनकी पत्नी द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पूर्वांचल के वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर और आजमगढ़ में यह धंधा "बड़ों की शह" पर चलता रहा। अखिलेश ने कही ये बड़ी बात कोडीन सिरप मामले में ईडी की एंट्री पर अखिलेश ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि "देश के दूसरे नंबर के कद्दावर नेता" इस प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि वाराणसी के पड़ोसी जिले के एक बाहुबली को यह नेता पसंद नहीं करते, इसलिए जैसे ही उसके रिश्तेदारों का नाम आया। केंद्र से दबाव बढ़ गया। आरोप है कि कोडीन सिंडिकेट का सरगना शुभम बाहुबली के रिश्तेदारों के साथ साझेदारी में था और उसने लगभग 84 करोड़ रुपये निवेश किए तथा महंगी गाड़ियां गिफ्ट कीं। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि एक और बाहुबली का शागिर्द भी इस धंधे में करोड़ों लेकर बैठा है और उसे सुरक्षा देने के नाम पर सत्ताधारी नेताओं को महंगे उपहार व मोटी रकम दी जाती थी।

तकनीक और रक्षा में रुस भारत का रणनीतिक साझेदार

रुसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक में बोले राजनाथ सिंह

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को और गहराई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को स्पष्ट कहा कि रूस अब भी भारत का रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदार है, खासकर रक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में। रक्षा मंत्री यह बात नई दिल्ली के मानेक्शॉ सेंटर में आयोजित 22वें भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठक में बोल रहे थे, जहां उनके रुसी समकक्ष आंद्रेई बेलोउसॉव भी मौजूद थे। भू-राजनीतिक बदलावों के बावजूद स्थिते सिंडिकेट का सरगना शुभम बाहुबली के रिश्तेदारों के साथ साझेदारी में था और उसने लगभग 84 करोड़ रुपये निवेश किए तथा महंगी गाड़ियां गिफ्ट कीं। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि एक और बाहुबली का शागिर्द भी इस धंधे में करोड़ों लेकर बैठा है और उसे सुरक्षा देने के नाम पर सत्ताधारी नेताओं को महंगे उपहार व मोटी रकम दी जाती थी।



करता है। रक्षा सहयोग, अनुबंध और तकनीकी हस्तांतरण पर चर्चा 22वें आयोग की बैठक में सैन्य उत्पादन, संयुक्त विकास, लाइसेंस प्राप्त में न्यूफैक्चरिंग और तकनीक हस्तांतरण सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से बातचीत हुई। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसॉव ने त्रि-सेवा गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार किया और दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में कदम राजनाथ सिंह ने बताया कि पिछले महीने मॉस्को में हुई 26वीं भारत-रूस कार्य समूह बैठक सफल

रही और यूरोएशियन इकनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा श्यह पहल आने वाले वर्षों में व्यापार और रक्षा, दोनों क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगी। दोनों नेता इससे पहले इस साल सितंबर में तियानजिन, चीन में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी में सुखोई, ब्रह्मोस, टी-90 टैंक, और नौसैनिक सहयोग जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। रूस और भारत आने वाले वर्षों में व्यापारिक

साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में हैं। रुसी वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव ने कहा है कि दोनों देश 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक व्यापार लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यह भरोसा एक साक्षात्कार में रुसी मीडिया से बातचीत के दौरान जताया। सिलुआनोव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में व्यापार की रफ्तार ने उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया है और ऊर्जा, रक्षा, वित्तीय सेवाओं, मशीनरी और यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। वीटीबी बैंक से बड़ेगा व्यापारिक ढांचा रुसी वित्त मंत्री ने भारत में रुसी सरकारी बैंक वीटीबी के नए प्लेगशिप कार्यालय के उद्घाटन को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, जिनकी अधिक सुविधाएं को दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें सालाना भारत-रूस शिखर सम्मेलन में शामिल करेंगे। यह मुलाकात दोनों देशों के लिए रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ने दोनों देशों के लिए 30 अरब डॉलर का लक्ष्य तय किया था, लेकिन आज व्यापार 68 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा, हमने यह लक्ष्य उम्मीद से कहीं तेज हासिल किया। रक्षा सहयोग, ऊर्जा व्यापार और उद्योगों के बीच बढ़ती साझेदारी ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय आयात बढ़ाने पर जोर सिलुआनोव ने संकेत दिया कि रूस अब भारत से आयात बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार, हम भारत से आयात में वृद्धि के लिए कदम उठा रहे हैं। वित्तीय प्रणाली जितनी सरल होगी, निवेश, पर्यटन और व्यापार उतना बढ़ेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब रुसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें सालाना भारत-रूस शिखर सम्मेलन में शामिल करेंगे। यह मुलाकात दोनों देशों के लिए रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

कश्मीर में 'विल्लेकला' से पहले ही भयानक सर्दी का अंदेश , खाने-पीने की वस्तुओं की कमी का करना पड़ सकता है सामना

एजेंसी जम्मू। कश्मीर में चिल्लेकला (भयानक सर्दी का मौसम) का आगमन अभी 17 दिन दूर है पर कश्मीरी अभी से ठंड से चिल्लाने लगे हैं। ऐसे में उन्हें चिंता है कि इस बार चिल्लेकला के दौरान कितनी भयानक सर्दी पड़ेगी। हालांकि समय चक्र के सुधार से कश्मीर में पानी की किल्लत और बिजली की कमी जैसी परेशानियों से निजात मिलने की उम्मीद तो जगती है लेकिन कश्मीरी परेशानियों के दौर से गुजरने को मजबूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पिछले कई सालों से मौसम के खराब रहने के कारण राजमार्ग के बार-बार बंद रहने का परिणाम यह होता है कि कश्मीरियों को चिंता इस बात की रहती है कि उन्हें खाने पीने की वस्तुओं की भारी कमी का सामना किसी भी समय करना पड़ सकता है। पहले चिल्लेकला के शुरु होने से पहले ही कश्मीरी सब्जियों को सुखा कर तथा अन्य चीजों का भंडारण कर लेते थे मगर कई सालों से मौसम चक्र के गड़बड़ रहने के कारण ये इसे मुला बैठे थे।

पुलिस और गोतस्करों में मुठभेड़, तीन को लगी गोली, 26 गोवंश बरामद

एजेंसी

कन्नौज। मैनपुरी से कंटेनर में गोवंश लादकर बिहार जा रहे गोतस्करों की जब पुलिस ने घेराबंदी की तो तीन चकमा देकर भाग गए, जबकि एक को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद तीनों गोतस्करों की बिहारी के जंगल में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में तीन गोतस्करों के पैर में गोली लग गई। तीनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस कंटेनर समेत 26 गोवंश, तीन तमंचे, चार खोखा व तीन जीवित कारतूस बरामद किए हैं। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि मैनपुरी से एक कंटेनर में गोवंशों को लादकर गोतस्कर बिहार जा रहे हैं। पुलिस ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर की घेराबंदी की तो तीन गोतस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग गए, जबकि गोतस्कर जनपद रामपुर के छोटा काशीपुर गंज निवासी नईम को पकड़ लिया। इसके बाद फरार गोतस्करों की तलाश में एसपी ने एसओजी, सर्विलांस समेत पांच पुलिस टीमों को लगाया। शाम को तालग्राम-तेराजाकेट मार्ग पर बिहारी गांव के जंगल में छिपे गोतस्करों की जब पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी

फायरिंग की तो जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर अंतर्गत मोहल्ला तकिया गुलाबबाड़ी निवासी एहतशाम, इसी कस्बे में मोहल्ला मनिहारन निवासी शमशेर व जनपद मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के शाहजहांपुर निवासी शहजाद के पैर में गोली लग गई। पुलिस कर्मियों ने तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज



भेज दिया गया। मौके पर एसपी विनोद कुमार, सीओ सिटी अभिषेक प्रताप अजेय पहुंचे और मुठभेड़ के बारे में जानकारी ली। पुलिस को गोतस्करों के पास से तीन तमंचे, चार खोखा व तीन जीवित कारतूस मिले हैं। चारों तरफ से की गई थी घेराबंदी, शातिर निकले गोतस्कर कंटेनर पकड़े जाने के बाद तीनों गोतस्कर पैदल ही भाग निकले।

एसपी ने चारों दिशाओं में उनकी घेराबंदी कराई। उत्तर तरफ गुरसहायगंज कोतवाल अजय अवस्थी, पश्चिम तरफ छिब्रामऊ कोतवाल विष्णुकान्त तिवारी, दक्षिण तरफ तालग्राम थानाध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह, सदर कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह व पूरब की तरफ एसओजी प्रभारी जयप्रकाश शर्मा व तिर्वा कोतवाल संजय शुक्ला उनकी तलाश में लगे थे। बाद में तीनों के बिहारी

जिले में चार मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ने पुलिस टीमों को दिया 20 हजार रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि तीनों गोतस्करों को गिरफ्तार करने की वाली टीमों को 20 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया है। बरामद गोवंश को गोशाला में भेज दिया गया है और कंटेनर को सीज कर दिया गया। यह कंटेनर शमशेर ने तस्करी के उद्देश्य से ही खरीदा था। सभी गोवंश कटने के लिए बिहार ले जाए जा रहे थे। मथुरा की टीम कर रही थी गोतस्करों का पीछा जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन निवासी श्रेयस ने बताया कि उनकी टीम मैनपुरी से गोतस्करों का पीछा कर रही थी। उनके साथ शिशिर, रामबाबू, लक्ष्मण सिंह, नितिन व सुमित भी थे। एक्सप्रेसवे पर कई जगह कंटेनर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन पुलिस पकड़ने में नाकामयाब रही। जब उन्होंने पीछा किया तो चालक ने कंटेनर को राना साइड पर मोड़ दिया और डिवाइडर फाँटकर दूसरी लेन पर ले गया। कंटेनर के साथ एक रियपट कार भी चल रही थी, जिसमें उनका साथ मुरादाबाद जिले के थाना भोजपुर अंतर्गत पद्म वाला तालाब छलिया निवासी अनस सवार था। नईम को इन्हीं युवकों ने पकड़ लिया था।

सोशल मीडिया अकाउंट खंगालकर कर अमेरिका दे रहा वीजा, सख्त नियमों पर जयशंकर बोले- ये उनका अधिकार



दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका द्वारा वीजा नियमों को और कड़ा किए जाने पर भारत ने स्पष्ट किया है कि वीजा जारी करना किसी भी देश का संप्रभु अधिकार होता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका हर वीजा आवेदन को अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देख रहा है और यह है उसका अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा के आधार पर निर्णय ले। अमेरिकी कदमों से भारतीय छात्रों और पेशेवरों की बढ़ती चिंताओं के लिए जयशंकर ने बताया कि अमेरिका ने हाल में किए गए बदलावों के तहत वीजा जांच को पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है। अब

छात्र वीजा ही नहीं, बल्कि एच-1B और एच-4 आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट भी पूरी तरह सार्वजनिक रखने होंगे ताकि उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की गहन जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह नई नीति भारतीय छात्रों, पेशेवरों और वीजा आवेदकों को सीधे प्रभावित कर रही है। सोशल मीडिया जांच अनिवार्य अमेरिका ने निर्देश दिया है कि 15 दिसंबर से सभी H-1B और H-4 आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक होने चाहिए ताकि वीजा अधिकारी उनका पूरा ऑनलाइन इतिहास देख सकें। इससे पहले यह नियम छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स पर लागू था, जिसे अब और व्यापक कर दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि वीजा कोई अधिकार नहीं बल्कि

एक प्रिविलेज है और देश की सुरक्षा के लिए सभी डिजिटल गतिविधियों की जांच जरूरी है। छात्रों की समस्याओं पर भारत की चिंता विदेश मंत्री ने बताया कि अप्रैल 2025 में अमेरिका की नई नीति लागू होने के बाद कई छात्रों के वीजे मामूली कारणों से रद्द कर दिए गए। कई मामलों में छात्रों पर स्वयं देश छोड़ने का दबाव भी बनाया गया। जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार ऐसे हर मामले में दूतावास और वाणिज्य दूतावास के जरिए दखल दे रही है और अमेरिका को बताया गया है कि छोटे अपराधों या तकनीकी गलतियों पर सख्त कार्रवाई उचित नहीं है। वीजा प्रक्रिया में सख्ती बढ़ाने का तर्क अमेरिका ने कहा है कि उसके लिए हर वीजा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन लगातार वीजा और इमिग्रेशन नियमों को कड़ा कर रहा है। उनका दावा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, सभी आवेदकों को अपनी पात्रता साबित करनी होगी और यह भरोसा देना होगा कि वे वीजा नियमों का पालन करेंगे। भारत की स्थिति और आगे की कार्रवाई जयशंकर ने कहा कि भारत कई मामलों में अमेरिका से बात कर चुका है।

# संपादकीय

# साथी पर अविश्वास

हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे कि आगामी वर्ष मार्च से हर नये स्मार्टफोन में 'संचार साथी' ऐप पहले इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। दूसरी ओर पुराने स्मार्ट फ़ोनों में इसे सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा भेजा जाएगा। जिसको लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और शीतकालीन सत्र में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्ष का कहना था कि इससे निजता का उल्लंघन होगा और व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण व नागरिकों की निगरानी करने वाला टूल बताया। इस बहस के बीच विपक्ष को नया मुद्दा मिलते देख केंद्र सरकार ने अनिवार्य तौर पर ऐप प्री-इंस्टॉल करने का अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल, सरकार का कहना था कि डिजिटल होती दुनिया में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों से नागरिकों को सुरक्षा देने के मकसद से यह पहल की गई थी। उसका कहना था कि लगातार जटिल होते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये ऐसी पहल अपरिहार्य है। लेकिन विपक्ष का आरोप था कि साइबर अपराधों के खिलाफ सुरक्षा के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप से नई तरह की असुखा पैदा हो सकती है। बताया जाता है कि सरकार ने स्मार्टफोन में साइबर सुरक्षा ऐप इस तरह इंस्टाल करने को कहा था ताकि उसे डिलीट या अक्षम न किया जा सके। केंद्र की दलील थी कि यह ऐप उपभोक्ता को धोखाधड़ी वाले फोन और संदेशों की रिपोर्ट लिखवाने में मदद करता। साथ ही चोरी किए गए मोबाइल की बरामदगी आसान हो पाती। लेकिन निजी डेटा सुरक्षा व इसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए, जिसके चलते इसका विरोध हुआ। वैसे सर्च इंजन में पहले से मौजूद इस ऐप को देश के लाखों लोग पहले ही स्वेच्छा से डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन इसको अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के आदेश के बाद विरोध के स्वर उभरने लगे। जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसके जरिये व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण करके उसके जीवन में ताक-झांक की जा सकती है। हालांकि, विरोध के सुर मुखर होने के बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आया कि यह निर्णय वैकल्पिक है और कोई व्यक्ति इस ऐप को इच्छानुसार डिलीट कर सकता है। निस्संदेह, निजता हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसे में किसी ऐप की अनिवार्यता से व्यक्ति की गोपनीयता में खलल पड़ने की आशंका जतायी जाने लगी। पिछले दिनों सरकार ने व्हाट्स ऐप व टेलीग्राम आदि कम्युनिकेशन ऐप्स संचालक कंपनियों से कहा था कि वे अपनी सेवा को मोबाइल के सिम कार्ड से जोड़कर रखें। ताकि सिम के बिना इन ऐप का दुरुपयोग न हो सके। जिसको लेकर टेलि-कम्युनिकेशन कंपनियों ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया था। निस्संदेह, निजता का अधिकार देश में मौलिक अधिकार के रूप में मौजूद है। शीर्ष अदालत ने भी अपने एक निर्णय के जरिये स्पष्ट किया था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 में 'राइट टू प्राइवसी' में भी निहित है। जिसके अंतर्गत मोबाइल, इंटरनेट व डिजिटल जानकारीयां भी शामिल हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से इतर व्यक्ति को अपनी डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा का हक है। यही वजह है कि विगत में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मोबाइल व निजी कंपनियां उपभोक्ता से आधार कार्ड नहीं मांग सकती। इस फैसले को तब निजता की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था। यही वजह है कि 'संचार साथी' की अनिवार्यता के बाद निजता व व्यक्ति के डेटा में सरकारी दखल को लेकर सवाल उठने लगे। निस्संदेह, आज के डिजिटल युग में व्यक्ति का डेटा बेहद महत्वपूर्ण है। जिसकी हर कीमत पर सुरक्षा की जानी चाहिए। वहीं इसके साथ ही इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं कुछ अन्य ऐप हमारे डेटा में तो सेंध नहीं लगा रहे हैं? सरकार को इससे उपभोक्ता की सुरक्षा करनी होगी। वहीं तर्क दिया जा रहा है कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने के बजाय आम लोगों को नई तकनीक और इसके इस्तेमाल के लिये सतर्क करने को देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही इसके लिये आम जनता को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे तकनीक के जरिये साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम को गति दी जा सके।

# राशिफल

मे़ष :- जीविका क्षेत्र में अवरोधों से मन में निराशा संभव। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय अपेक्षित है। नई सफलताओं से खुद की क्षमताओं का एहसास होगा। संतान संबंधी दायित्वों की पूर्ति होगी। वृषभ :- शासन-सत्ता से जुड़े लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। नियोजित परिश्रम द्वारा कार्य पूर्ण होने के आसार बनेंगे। पुराने संबंधों से लाभ होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। मिथुन :- संबंधों में व्यवहार कुशल बने। सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में आपकी भागेदारी संभव। निकट संबंधों में अपनी अच्छी छवि बनायें। कुछ महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता से उत्साहित होंगे। कर्क :- विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी। कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं सार्थक होंगी। नवीन आशाएं नये उत्साह का संचार करेंगी। कार्यक्षेत्र में संबंधों का भरपूर लाभ उठाएंगे। सिंह :- अंतमरुखी स्वभाव को त्याग बाह्यमुखी बनायें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनचर्या के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। घर में खुशहाली रहेगी। कन्या :- पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सुख की अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होंगे। शिक्षा में समुचित परिश्रम करने में असमर्थ मन नकारात्मक चिंताओं से बोझिल होगा। तुला:- किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। पारिवारिक वातावरण में उत्साह का माहौल रहेगा। दुबिधाओं का त्याग कर लक्ष्य पर केंद्रित हों। वृश्चिक :- कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। परिजनों के भावनात्मक सहयोग से मन उत्साहित होगा। हंसमुख स्वभाव से आसपास का माहौल प्रसन्न होगा। धनु :- कठिन एवं विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। सामाजिक सक्रियता से मान-प्रतिष्ठा में बढ़ेगी। घरेलू दायित्वों की पूर्ति होगी। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें। मकर :- कुछ भौतिक आकांक्षाएं अपनी सार्थकता हेतु मन को उदेलित करेंगी। निकट संबंधों में भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। गैर सांस्कारिक कार्पे की आकर्षित मन पर अंकुश लगायें। कुंभ :- कुछ नई इच्छाएं बलवती होंगी। प्रयासरत क्षेत्रों में संघर्ष संभव परंतु निराशावादी विचारों को मन में स्थान न दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित ऊर्जा की अनुभूति होगी। रोजगार में लाभकारी स्थिति रहेगी। मीन :- नकारात्मक चिंताओं को त्याग अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। नौकरी-पेशे में अधिकारियों व सहकर्मियों के सहयोग से वातावरण सुखद होगा। राजनीति से जुड़े लोगों का सहयोग मिलेगा।

# जवाबदेही की नई राह : मतियों की कार्य-रिपोर्ट और सदन अध्यक्ष द्वारा समीक्षा

# लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संस्थागत समीक्षा की नई पहल



—डॉ सत्यवान सौरभ

लोकतंत्र की सफलता केवल जनता की भागीदारी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इससे भी अधिक इस बात पर आधारित होती है कि शासन-तंत्र कितना जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुख है। भारत जैसे विशाल और बहुस्तरीय लोकतंत्र में यह प्रश्न कई गुना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मंत्रीकृजो विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष प्रशासक हैं-अपने विभाग के कार्य, नीतियों और दैनिक प्रशासनिक निर्णयों के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हैं? समय-समय पर यह चिंता व्यक्ति की जाती रही है कि शासन में पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव और नीतिगत अस्पष्टता जैसी समस्याएँ

निर्णय-प्रक्रिया को कमजोर करती हैं। इन्हीं परिस्थितियों में यह विचार उभरता है कि मंत्रियों के कार्य-काज की नियमित रिपोर्ट तैयार की जाए और उसकी समीक्षा सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाए। यह प्रस्ताव मात्र प्रशासनिक सुधार नहीं है; यह लो कतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति-संतुलन, नैतिक जिम्मेदारी और जन-विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। भारत की संवैधानिक संरचना में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका के रूप में मंत्री शासन-व्यवस्था की धुरी होते हैं, परंतु उनकी जवाबदेही अक्सर केवल चुनावी परिणामों या राजनीतिक आलोचनाओं तक सीमित रह जाती है। यदि इनके दायित्वों और निर्णयों का नियमित आकलन एक संस्थागत प्रक्रिया के अंतर्गत हो, तो शासन न केवल अधिक पारदर्शी होगा बल्कि जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी भी बन सकेगा। मंत्रियों की कार्य-रिपोर्ट पर यह चिंता व्यक्ति की जाती रही है कि शासन में पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव और नीतिगत अस्पष्टता जैसी समस्याएँ

विवरण देना होता है। एक व्यवस्थित रिपोर्ट मंत्री को बाध्य करती है कि वह अपने विभाग की वास्तविक स्थिति, योजनाओं की प्रगति, वित्तीय उपयोग, चुनौतियों और भविष्य के लक्ष्यों को सत्य और स्पष्ट रूप में वर्णित करे। यह दस्तावेज किसी राजनीतिक भाषण या प्रचार की तरह नहीं, बल्कि शासन का एक प्रामाणिक रिकॉर्ड बनता है। यदि इस रिपोर्ट की समीक्षा सदन अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो इसकी विश्वसनीयता और गंभीरता दोनों ही बढ़ जाती हैं। सदन अध्यक्ष भारतीय लोकतंत्र में तटस्थता के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। उनकी भूमिका केवल सदन की कार्यवाही का संचालन करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे विधायी नैतिकता और संसदीय मर्यादाओं के संरक्षक भी होते हैं। उनकी समीक्षा एक निष्पक्ष, संतुलित और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी प्रणाली मंत्री की स्वतंत्रता को सीमित कर देगी। परंतु यह समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र में किसी भी पद की स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ जुड़ी होती है, उससे अलग नहीं होती। जब एक मंत्री जानता है

कि उसके प्रत्येक निर्णय का औपचारिक दस्तावेज बनकर समीक्षा के लिए जाएगा, तो वह नीतिगत गंभीरता और प्रशासनिक अनुशासन को और मजबूत रूप से अपनाता है। इसके साथ ही, एक ऐसी रिपोर्टिंग व्यवस्था शासन में निरंतरता भी सुनिश्चित करती है। मंत्रालयों में मंत्रियों का परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है, परंतु अक्सर नीतियाँ इसी संक्रमण में कमजोर पड़ जाती हैं क्योंकि नई नेतृत्व टीम को पिछली प्रगति की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। नियमित रिपोर्ट इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती हैं। इससे शासन में न केवल पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि नीतिगत निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्थाएँ पहले से मौजूद हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में मंत्रियों की नियमित रिपोर्ट संसद या उसकी समितियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। यह प्रक्रिया दिखाती है कि जवाबदेही केवल राजनीतिक आलोचना का विषय नहीं है, बल्कि शासन का एक अनिवार्य अंग है। भारत में यदि यह प्रणाली लागू होती

है, तो यह वैश्विक मानकों के अनुरूप एक आधुनिक और पारदर्शी प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। ऐसी रिपोर्टिंग प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष जनता का अधिकार है। भारत में नागरिक बार-बार यह भावना व्यक्त करते हैं कि शासन-तंत्र उनके प्रति पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं है। योजनाओं की प्रगति, बजट का प्रामाणिक सार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे एक स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद स्थापित होगा। सदन अध्यक्ष द्वारा की गई समीक्षा आलोचना का रूप नहीं होगी; यह सुधारात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा बनेगी। समीक्षा से मिली टिप्पणियाँ मंत्री के लिए दिशानिर्देश बन सकती हैं, जो विभाग की कार्यक्षमता और नीतियों की गुणवत्ता को और ऊँचा उठाने में मदद करेंगी। जब तंत्र निष्पक्ष निगरानी के साथ चलता है, तो लापरवाही और विलंब जैसी समस्याएँ स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह प्रस्ताव शासन की उस बुनियादी

धारणा को फिर से स्थापित करता है कि सत्ता का उद्देश्य केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। मंत्री जब अपने दायित्वों का नियमित लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं, तो वे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता में योगदान देते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता को भी मजबूत करते हैं। निष्कर्षतः, मंत्रियों की कार्य-रिपोर्ट और सदन अध्यक्ष द्वारा उसकी समीक्षा एक ऐसी पहल है जो भारत के लोकतंत्र को अधिक जीवंत, अधिक पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बना सकती है। यह प्रस्ताव शासन के प्रत्येक स्तर को उत्तरदायित्व के नए मानदंडों के तहत लाने की क्षमता रखता है। यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति के उन्नयन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यदि भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो यह लोकतंत्र को सिर्फ एक शासन-व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत और मूल्य-आधारित परंपरा बनाती है, जो समय के साथ और भी परिष्कृत होती जाती है।

# नए भारत को सुरक्षा एवं सवेदना वाली नई पुलिस चाहिए

—ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र में पुलिस व्यवस्था कानून-व्यवस्था की आधारभूत धुरी है, परंतु आम नागरिक के मानस में पुलिस की छवि अभी भी कठोरता, डर और दमन से जुड़ी हुई है। इसे केवल अधिकार जताने वाली शक्ति समझा गया है, संवेदनशीलता, जवाबदेही और मित्र भाव से नहीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन, इसी जटिलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुलिस की छवि तभी बदलेगी जब व्यवस्था अधिक प्रोफेशनल, अधिक उत्तरदायी और अधिक मानवीय बने। विकसित भारत की दृष्टि में पुलिस का पुनर्गठन केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि समाज में भरोसे को पुनर्जीवित करने का कार्य भी है। पुलिस के पास अपराध नियंत्रण, आतंकवाद-निरोध, भीड़ प्रबंधन, आपदा राहत, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, चुनाव ज्यूरी और वीआईपी सुरक्षा जैसी असंख्य जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं। कार्य-भार भारी और राजनीतिक दबाव व्यापक हैं। कुछ अधिकारियों के भ्रष्ट या कठोर व्यवहार ने संपूर्ण पुलिस व्यवस्था की छवि पर चोट पहुँचाई है, इसलिए इसी सोच का हिस्सा है, क्योंकि कानून तभी प्रभावी होते हैं जब जनता ने इस स्थिति बदलने की स्पष्ट आवश्यकता जताई और युवाओं में पुलिस की सकारात्मक छवि निर्माण पर बल दिया ताकि आने वाली पीढ़ी पुलिस को मित्र और संरक्षणकर्ता के रूप में पहचाने। भारतीय लोकतंत्र के संरचनात्मक स्तंभों में पुलिस की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। वह केवल अपराधियों से मुकाबला करने वाली शक्ति नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था, नैतिकता और जनविश्वास की संरक्षक है। परंतु विडम्बना यह है कि आम

जनता के मानस में पुलिस की छवि आज भी कठोरता, डर, भ्रष्टाचार और दमन से जुड़ी हुई दिखाई देती है। समाज पुलिस को "डंडे" और "खाकी" के प्रतीक रूप में पहचानता है, संवेदनशीलता और जवाबदेही के दृष्टिकोण से नहीं। यही कारण है कि पुलिस सुधार दशकों से विमर्श का विषय तो रहा, लेकिन कभी जनांदोलन नहीं बन सका, न चुनावी मुद्दा बना और न ही गंभीर राजनीतिक प्राथमिकता। इसलिये मोदी ने शहरी पुलिसिंग को मजबूत करने, पर्यटक पुलिस को फिर से सक्रिय करने, विश्वविद्यालयों को फोर्सेंस अध्ययन के लिए प्रेरित करने और नए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक साक्ष्य अधिनियम तथा नागरिक सुरक्षा संहिता पर व्यापक जनजागरूकता चलाने की जरूरत रेखांकित की। उनका यह दृष्टिकोण पुलिस को प्रतिक्रियाशील संस्था से आगे बढ़ाकर बुद्धिमान, वैज्ञानिक, पूर्वानुमान आधारित और विश्वसनीय संस्था बनाने की दिशा है। प्रधानमंत्री की दृष्टि का महत्वपूर्ण आयाम यह है कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली मशीन नहीं बल्कि समाज का सहभागी तंत्र है। यदि पुलिस व्यवहार में संवेदनशीलता, संवाद, पारदर्शिता और विनम्रता विकसित करे तो जनविश्वास स्वतः बढ़ेगा। नए कानूनों के बारे में जन-जागरूकता अभियान इसी सोच का हिस्सा है, क्योंकि कानून तभी प्रभावी होते हैं जब जनता उन्हें समझती और स्वीकार करती है। अपराध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, इसलिए पुलिस का प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता, इंटेलिजेंस नेटवर्क और फोर्सेंस क्षमता मजबूत होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने टेस्टिड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एकीकृत डेटाबेस के प्रभावी उपयोग पर जोर देकर पुलिस को डेटा आधारित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-एआई और वैज्ञानिक सोच से जोड़ने की दिशा दिखाई है। उन्होंने प्रतिबधित

संगठनों की सतत निगरानी, नशीली दवाओं के विरुद्ध बहुस्तरीय रणनीति, कट्टरपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में विकास आधारित समाधान, तटीय सुरक्षा के नवाचार, तथा प्राकृतिक आपदाओं में सक्रिय पुलिस नेतृत्व का आवश्यकता भी व्यक्त की। यह सब उस व्यापक सोच का हिस्सा है जिसमें पुलिस केवल अपराध से लड़ने वाली व्यवस्था नहीं बल्कि विकास की रणनीतिक सहभागी शक्ति है। परंतु पुलिस सुधार केवल निर्देशों से संभव नहीं; इसके

न्यायबोध और अनुशासन की संरचना को सशक्त बनाने के लिए पुलिस का आधुनिक, मानवीय और विश्वसनीय स्वरूप अनिवार्य है। यह सुधार केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सोच, दृष्टि और चरित्र का परिवर्तन है। तभी खाकी का सम्मान लौटेगा, जनता का विश्वास मजबूत होगा और पुलिस व्यवस्था वास्तव में लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में पहचानी जाएगी। प्रधानमंत्री के ताजा विचारों ने स्पष्ट किया है कि पुलिस की छवि सुधारने का अर्थ

पालन करती है, तो खाकी वर्दी का अर्थ केवल अनुशासन नहीं बल्कि विश्वास, अमय और सहारा प्रतीत होगा। यही वह परिवर्तन है जो विकसित भारत की सोच में निहित है। अंग्रेजी शासकों ने अपने शासन को थोपने, जनता को नियंत्रित करने और भय-आधारित प्रशासन चलाने हेतु पुलिस तंत्र की रचना की। 1860 के कानून के आधार पर स्थापित भारतीय पुलिस का मूल चरित्र दंडात्मक, शासक-केन्द्रित और

नैतिकता, पारदर्शिता और मानवता को प्राथमिकता दे। ऐसी पुलिस व्यवस्था ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की प्रहरी बन सकती है और भारत की सभ्यता-संस्कारों का प्रतिबिंब भी। इसी संदर्भ में पुलिस थानों के नामकरण की सोच पर पुनर्विचार भी आवश्यक है। "थाना" शब्द में दमन और भय की छाया रही है, जबकि लोकतांत्रिक समाज में वह नागरिक सहारा का स्थान होना चाहिए। यदि उन्हें "सुरक्षा केंद्र", "नागरिक सहायता केंद्र", "पुलिस सेवा भवन", "अमय केंद्र" या "सहयोगी हरी केंद्र" जैसे नाम दिए जाएं तो नागरिक के मानस में पुलिस की भूमिका का अर्थ बदलने लगेगा। नाम केवल शब्द नहीं होता, वह भाव, चरित्र और अनुभव निर्मित करता है। इस सकारात्मक नामकरण से पुलिस केन्द्र केवल शिकायत या धमकाने का प्रतीक नहीं बल्कि सहायता, समस्या-समाधान, विश्वास और न्याय का केन्द्र बन सकता है। यह प्रतीकात्मक परिवर्तन, यदि व्यवहार सुधार के साथ जुड़ जाए, तो पुलिस के प्रति जनता में सम्मान, निर्भयता और साझेदारी की भावना और अधिक मजबूत होगी और यही वह दिशा है जिसे विकसित भारत की सुरक्षा, नीतिगत सोच और संवेदनशील शासन का स्वरूप कह सकते हैं। इसके विपरीत आज की वास्तविकता यह है कि जब पुलिस दरवाजे पर आती है, तो नागरिक घबराता है-"कहीं फंस न जाऊँ।" यह भय उस विश्वासहीनता का परिणाम है जिसे बदलाव आवश्यक है। अपराध की प्रकृति बदल रही है, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग नेटवर्क-इनसे मुकाबले के लिए आ ज़रूरत है कि भारत का पुलिस तंत्र भारत के मूल्यों के अनुरूप पुनर्निर्मित हो। विकसित भारत को विकसित सोच वाली पुलिस चाहिए जो नागरिकों के साथ विश्वास-आधारित संबंध बनाए, दमन नहीं बल्कि संरक्षण दे, और कानून को लागू करने में



लिए संतुलित एवं अत्याधुनिक ढांचे की जरूरत है जिसमें प्रशिक्षण, संसाधन, मनोबल, आचार-नीति, राजनीतिक निरंतरताओं से मुक्ति और सामाजिक सम्मान शामिल हों। आलोचना जितनी महत्वपूर्ण है, पुलिस के संघर्षों को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इसी दोतरफा समझ से सुधार का रास्ता निकलता है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा है कि पुलिस नेतृत्व खुद को नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार करे लक्ष्य स्पष्ट करे और वह व्यवस्था बनाए जिसमें नागरिक पुलिस को भय से नहीं बल्कि विश्वास से देखें। विकसित भारत की यात्रा में सुरक्षा,

केवल कठोरता घटना नहीं, बल्कि इनसे प्रोफेशनल, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना है। आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस व्यवस्था के लिए भय का नहीं, विश्वास और सुरक्षा का केंद्र बने। शहरी पुलिसिंग को सुदृढ़ करने, पर्यटक पुलिस को पुनर्जीवित करने और नए आपराधिक कानूनों पर जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में पहल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पुलिस "डंडे की ताकत" से आगे बढ़कर "मदद की शक्ति" बनेगी। यदि नागरिक को यह अनुभव होने लगे कि पुलिस मदद के लिए तत्पर है, उसके अधिकारों का सम्मान करती है और कानून का निष्पक्ष

आधारित प्रैक्टिकल स्किल्स की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को देखते हुए आईआईटी, एनआईटी और श्री विश्वकर्मा कोशल विश्वविद्यालय सहित कई संस्थान इनसे संबंधित कोर्स शुरू कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन कोर्स काफी महत्वपूर्ण हैं। इसमें नैनोफैब्रिकेशन, फोटोलिथोग्राफी, ऑक्सीडेशन, डिपोजिशन, आयन इम्प्लांटेशन जैसी प्रोसेस सिखाई जाती है। इसी तरह तकनीशियन, वेफर प्रोसेस इंजीनियर, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग विशेषज्ञ, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स इंजीनियर, क्लीन रूम तकनीशियन, वेफर प्रोसेस इंजीनियर, और डिजाइन कंपनियों की तेजी से स्थापना हो रही है। सरकार ने इंडिया डिजिटल युग की रीढ़ है और प्रत्येक तकनीक की आत्मा बन चुकी है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, चिकित्सा आहारित मशीनें, इलेक्ट्रिक वाहन, 5जी नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी के केंद्र में

# सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में खुलेंगे रोजगार के असंख्य द्वार

दुनियाभर में सेमीकंडक्टर उद्योग में रोजगार की असीम सम्भावनाएं हैं। फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन, 5जी नेटवर्क और एआई आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक्स व डिजिटल तकनीकों में चिप चाहिये। भारत में फैंब यूनिट्स शुरू होते ही लाखों नौकरियां आएंगी और स्किलड पेशेवरों की मांग होगी। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी., केमिकल इंजी., क्लीन रूम तकनीशियन, वेफर प्रोसेस इंजी., पैकेजिंग विशेषज्ञ, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स इंजी. व टेस्टिंग विशेषज्ञों की जरूरत होगी। सेमीकंडक्टर चिप डिजिटल युग की रीढ़ है और प्रत्येक तकनीक की आत्मा बन चुकी है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, चिकित्सा आहारित मशीनें, इलेक्ट्रिक वाहन, 5जी नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी के केंद्र में

यही सूक्ष्म चिप काम करती है। दुनिया भर में चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत अब सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। युवाओं के पास उच्च वेतन, स्थायी कैरियर और वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने का समय है। भारत आज लगभग 90 प्रतिशत चिप आयात करता है। जैसे-जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण बढ़ रहा है, भारत में फैंब, असेम्बलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग और डिजाइन कंपनियों की तेजी से स्थापना हो रही है। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, पीएलआई स्क्रीम और 50 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी जैसी नीतियों के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति दी है। आने वाले पांच से सात वर्षों में भारत में अनेक फैंब और

असेम्बलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग यूनिट्स शुरू होने जा रही हैं। एक एक ले फ़ैब्रिकेशन प्लांट 12,000-15,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है। अनुमान है कि 2030 तक इस उद्योग में 25-30 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध होंगी। इसके संदर्भ को समझें तो निकट भविष्य में भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, क्लीन रूम तकनीशियन, वेफर प्रोसेस इंजीनियर, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग विशेषज्ञ, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स इंजीनियर, क्लीन रूम तकनीशियन, वेफर प्रोसेस इंजीनियर, और डिजाइन कंपनियों की तेजी से स्थापना हो रही है। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, पीएलआई स्क्रीम और 50 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी जैसी नीतियों के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति दी है। आने वाले पांच से सात वर्षों में भारत में अनेक फैंब और

आधारित प्रैक्टिकल स्किल्स की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को देखते हुए आईआईटी, एनआईटी और श्री विश्वकर्मा कोशल विश्वविद्यालय सहित कई संस्थान इनसे संबंधित कोर्स शुरू कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन कोर्स काफी महत्वपूर्ण हैं। इसमें नैनोफैब्रिकेशन, फोटोलिथोग्राफी, ऑक्सीडेशन, डिपोजिशन, आयन इम्प्लांटेशन जैसी प्रोसेस सिखाई जाती है। इसी तरह तकनीशियन, वेफर प्रोसेस इंजीनियर, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग विशेषज्ञ, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स इंजीनियर, क्लीन रूम तकनीशियन, वेफर प्रोसेस इंजीनियर, और डिजाइन कंपनियों की तेजी से स्थापना हो रही है। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, पीएलआई स्क्रीम और 50 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी जैसी नीतियों के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति दी है। आने वाले पांच से सात वर्षों में भारत में अनेक फैंब और

लिए काफी उपयुक्त है। सेमीकंडक्टर फैंब में धूल का एक कण भी उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए प्रशिक्षित क्लीन रूम तकनीशियन की भारी मांग है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं पीएलएसआई डिजाइन के क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं। जो युवा चिप डिजाइन में रुचि रखते हैं, उनके लिए पीएलएसआई डिजिटल सर्किट डिजाइन, कैंड टूल्स जैसे क्षेत्र सर्वोत्तम हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर एसआईसी और जीएएन कोर्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। भविष्य ईवी और हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और इस क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की मांग कई गुना बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर उद्योग में न केवल रोजगार की असीम सम्भावनाएं हैं, बल्कि शुरुआती वेतन भी काफी अच्छा रहता है। प्रारम्भिक वेतन 5 से 12 लाख वार्षिक

तक होता है। भारत में फैंब यूनिट्स शुरू होते ही लाखों नौकरियां आएंगी और कुशल लोगों को हाथोंहाथ लिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह उद्योग दशकों तक लगातार बढ़ने वाला है। भारत में तो अवसरों की भरमार होगी ही, साथ ही ताइवान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में भी काम करने के अवसर मिल सकते हैं। टेस्टिंग, सेंसर और उपकरण निर्माण जैसे क्षेत्रों में अपने स्टार्टअप और जीएएन कोर्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। भविष्य ईवी और हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और इस क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की मांग कई गुना बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर उद्योग में न केवल रोजगार की असीम सम्भावनाएं हैं, बल्कि शुरुआती वेतन भी काफी अच्छा रहता है। प्रारम्भिक वेतन 5 से 12 लाख वार्षिक





